न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या : 2020/72

1. राजेश जायसवाल पुत्र श्री रामस्वरूप जायसवाल, जाति कलाल, उम्र 47 वर्ष, हाल निवासी प्लाट नंबर 50, लक्ष्मी विहार, पालड़ी मीणा, आगरा रोड, जयपुर (राज0) स्थाई निवासी खानिया बन्धा, पुराना घाट, आगरा रोड, जयपुर (राज0)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्वरूप जायसवाल पुत्र स्व0 श्री रामनिवास, उम्र 70 वर्ष,
2. रामसुन्दर जायसवाल उम्र 45 वर्ष
3. रतन सिंह जायसवाल, उम्र 42 वर्ष
4. श्याम सुन्दर जायसवाल, उम्र 45 वर्ष, पुत्र श्री रामस्वरूप जायसवाल, निवासी घाटी करोलान, जगतपुरा रोड, खो–नागोरियान, जयपुर (राज0)
5. श्रीमती लक्ष्मी जायसवाल उर्फ निशा पत्नी श्री गुड्डू उर्फ जगदीश जायसवाल पुत्री श्री रामस्वरूप जायसवाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी केशवपुरा के पास, पालडी मीणा, आगरा रोड, जयपुर।
6. उप पंजीयक सांगानेर–प्रथम
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील कार्यालय सांगानेर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक: 10.09.2020

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ पेश किया गया कि आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 1873 रकबा 0.65 है0 किस्म चाही–1, खसरा नंबर 1874 रकबा 0.3850 हैक्टेयर किस्म चाही–I, खसरा नंबर 1883/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म चाही–I, कुल किता 3 कुल रकबा 1.0650

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.18 13:29:22 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टेयर है वाकै ग्राम खो–नागोरियान, पटवार क्षैत्र खो–नागोरियान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जो आराजी कृषि भूमि प्रस्तुत वाद में विवादित है।

सजरा खानदान

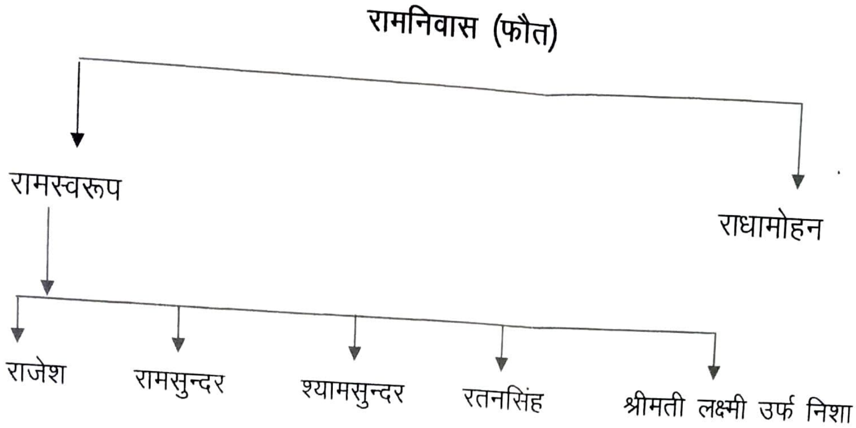

विवादित अराजी कृषि भूमि सर्वप्रथम राजस्व रिकॉर्ड में रामनिवास के नाम से दर्ज थी जिसका कुल रकबा 2.1300 हैक्टेयर, जिसकी मृत्यु के पश्चात् विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 तथा उसके सगे भाई राधामोहन के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 व उसके भाई राधामोहन ने विभाजन करवा लिया। उकत विभाजन के आधार पर वाद पत्र के पैरा 1 में अंकित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। उक्त आराजी कृषि भूमि के प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 सहखातेदार, काश्तकार है। विवादित आराजी कृषि भूमि जिसका वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णन किया गया है। में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा निहित है। विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा आज तक विधिवत रूप से उक्त आराजी कृषि भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी ने दिनांक 03.08.2020 को अप्रार्थी ंख्या 1 लगायत 5 से वादगस्त आराजी कृषि भूमि को प्रार्थी के नाम उसके हिस्सेनुसार करवाने तथा विवादित भूमि का तकासमा करवाने के लिए कहा तो उन्होने भूमि नाम करवाने व तकासमा करवाने से इन्कार कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने बिना नाम करवाये तथा बिना तकासमा करवाये संयुक्त खातेदारी की उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर दिनांक 04.08.2020 को सुबह लगभग 9 बजे निर्माण करवाने के लिये निर्माण सामग्री पत्थर, ईट, बजरी, सीमेन्ट डालना प्रारम्भ कर दिया तथा दिनांक 04.08.2020 को 50–60 मजदूरों व कारीगरों

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.18 13:29:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रारम्भ कर दिया जिस पर प्रार्थी द्वारा बिना भूमि नाम करवाये व बिना तकासमा करवाये वादग्रस्त भूमि पर निर्माण करने के लिए मना करने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 शारीरिक बल में अधिक होने से तथा आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने व पुलिस थाना की पहुंच में होने से प्रार्थी के साथ गाली–गलौच की तथा धक्का–मुक्की की जिस पर गांव के अन्य लोग इकट्ठा हो गये तथा निर्माण कार्य रूकवा दिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 जाते समय धमकी देकर गये कि आज तो निर्माण कार्य रोक दिया है लेकिन 2–3 दिन के बाद हमस ब भूमि को अपने नाम करवा लेंगे और तुझे इस निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा तथा अच्छी से अच्छी भूमियों पर पुख्ता निर्माण कर कब्जा करके रहेंगे तथा विवादित कृषि भूमि के विशिष्ट भू–भाग का भी विक्रय कर देंगे तथा प्रार्थी को उसके कब्जे से बेदखल करके रहेंगे। जिस प्रकार प्रार्थी को प्रस्तुत वाद बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि जब तक विवादित कृषि भूमि के प्रत्येक खातेदार के हिस्सें की घोषणा नहीं की जाती है तथा विवादित भूमि का तकासमा नहीं हो जाता तब तक वो विवादित कृषि भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण ना करे, साथ ही विवादित कृषि भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय ना करे साथ ही उक्त विवादित कृषि भूमि के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित न तो स्वंय करे एवं न किसी अन्य व्यक्ति से करावे एवं प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 6 व 7 को डिक्री फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 6 को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे कि विवादित भूमि के संबंध में किसी दस्तावेज को पंजीकृत न करे साथ ही अप्रार्थी संख्या 7 को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि उक्त कृषि भूमि के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं न्यायालय की अनुमति के बिना राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई अंकन ना करें।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ प्रतिलिपि जमाबंदी पेश की है जो संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की डिलीवरी रिपोर्ट प्राप्त।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.18 13:29:22 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब टीआई पेश किया गया जिसमें अंकित है कि:–

प्रार्थी द्वारा अपने वाद में अपूर्ण सजरा खानदान अंकित किया है। प्रार्थी द्वारा अपने वाद में स्व0 रामनिवास जायसवाल की पुत्रियों का उल्लेख नही किया हैं। बल्कि वास्तविकता यह है कि रामनिवास के तीन पुत्रियां क्रमशः भौरी देवी, शान्ति देवी व प्रेम देवी भी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी ने वाद असत्य बनावटी कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है। वादअधीन पूर्व में रामनिवास के नाम दर्ज व अकित थी, जिन्होंने अपने जीवनकाल में ही जरिये पारिवारिक समझौता दिनांक 12.03.2003 अपने पुत्रों एवं परिवार में विभाजित कद दी। उक्त भूमि प्रार्थी को जरिये वसीयत दिनांक 12.03.2003 के द्वारा प्राप्त हुई हैं। जिनका विभाजन उनके भाईयों के मध्य हो चुका है तथा प्रार्थी को प्राप्त सम्पत्ति केवल मात्र उसके पिता से ही प्राप्त नही हुई, बलि उनकी बहने एवं मॉ द्वारा हक त्याग से भी प्राप्त हुई है जो उसकी स्व– अर्जित सम्पत्ति है ऐंसी स्थिति में प्रार्थी का वाद विधि विधान के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादअधीन भूमि में प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई हक़ व अधिकार निहित नही हैं। उक्त भूमि मिन उत्तरदाता को जरिये वसीयत प्राप्त हुई हैं, एवं पिता से जो सम्पत्ति जरिये विरासत प्राप्त हुई थी उसका भी उनके भाईयों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हो चुका है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा दिनांकित घटना 03.08.2020 पूर्णतः असत्य बनावटी व मनगढंत है प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार की कोई वार्तालाप नही हुई, ना ही उक्त भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करने एवं मजदूर कारीगरो एवं निर्माण सामग्री सीमेन्ट, पत्थर आदि लेकर निर्माण की चेष्टा करने का प्रश्न की उत्पन्न नही होता। जवाब दावे के अतिरिक्त कथन में अंकन है कि वाअधीन भूमि खसरा नंबर 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1883, 1884 कुल किता 8 कुल रकबा 2.13 हैक्टेयर मिन उत्तरदाता के पिता स्व0 रामनिवास जायसवाल पुत्र गोपीराम जायसवाल की खातेदारी की भूमि थी। जिसे उन्होनें अपने जीवनकाल में ही जरिये वसीयत दिनांक 12.03.2003 द्वारा अपने पुत्रों में विभाजित कर दी थी। उक्त वसीयत नोटेरी पब्लिक किशन लाल बंसल के रजिस्टर्ड क्रमांक 8103 दिनांक 12.03.2003 पर दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति में वादअधीन भूमि मिन उत्तरदाता की स्व अर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.18 13:29:22 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार/उपखण्ड
जयपुर शहर द्वितीय

वादअधीन भूमि में प्रार्थी का कोई हक अधिकार नियत नही है यदि माने तो मिन उत्तरदाता का वादअधीन भूमियों उसके पिता से प्राप्त हुई जो निम्न प्रकार से है :–

रामनिवास 2.13 हैक्टेयर

रामस्वरूप पुत्र | राधामोहन पुत्र | भौरी देवी पुत्री | शान्ति देवी पुत्री | प्रेम देवी

रामस्वरूप: राजेश पुत्र | रतन पुत्र | राम सुन्दर पुत्र | मंजू देवी पत्नी | लक्ष्मी(निशा) पुत्री

उपरोक्त भूमि मिन उत्तरदाता को जो उसकी माता, बहनों से हक त्याग में प्राप्त हुई को छोडकर शेष भूमि 0.426 हैक्टेयर में वादी को हिस्सा 1/7 यानि 0.060 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो मिन उत्तरदाता को कोई आपत्ति नही है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है है कि अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का दावा पोषणीय नहीं होने की वजह से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

बहस प्रार्थना पत्र टीआई पर वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया।

हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में हाल इन्द्राज के विरूद्व प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नही यह मूलवाद में निर्धारित किया जाने वाला बिन्दू है। अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के दृष्टिकोण से विचार किया जाना है। उक्त वर्णित दस्तावेजात से यह जाहिर है कि वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा–काश्त अप्रार्थीगण का रहा है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे से स्पष्ट है कि वादीगण ने स्वच्छ हाथो से दावा प्रस्तुत नही किया है। हाल रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे बनता प्रतीत नहीं होता है। अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वादग्रस्त आराजी पर कब्जा व रिकॉर्ड दोनो ही अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से, यदि रिकॉर्डेड खातेदार अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.18 13:29:22 IST
Reason: SelfAttested

आदेश से पाबन्द किया जाता है तो इस स्तर पर तुलनात्मक रूप से असुविधा व अपूरणीय क्षति प्रार्थी की न होकर अप्रार्थीगण की होना सम्भावित है। यदि प्रार्थी के हित में टी.आई जारी कर दी गयी तो वह मिन उत्तरदातागण को उनकी खातेदारी कब्जे काश्त के आराजी से बेदखल कर देगा तथा नाजायज कब्जा कर लेगा जिससे मिन उत्तरदातागण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई होना कतई संभव नही होगा। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.09.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.18 13:29:22 IST
Reason: SelfAttested